

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या : 11/न०वि०(न्या०)- 23 /2013.....108 /न०वि० एवं आ०वि० पटना दिनांक : 18/8/17

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-8586 दिनांक-13.07.2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना, के अधिसूचना संख्या- 287 A दिनांक- 19.07.2017 के आलोक में श्री निरंजन सिंह, अध्यक्ष, बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण-01 & 02, बिहार, पटना को तत्कालिक प्रभाव से विरमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक : 11/न०वि०(न्या०)- 23 /2013.733 /न०वि० एवं आ०वि० पटना दिनांक : 18/8/17

प्रतिलिपि : महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग बिहार पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / श्री निरंजन सिंह, अध्यक्ष, बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण-01 & 02 बिहार, पटना/ सदस्य -म्यूनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18-8-17

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग